	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	वैशाख 04, शुक्रवार, शाके 1948- अप्रेल 24, 2026 Vaisakha 04, Friday, Saka 1948- April 24, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 05, 2025

संख्या प.9(50)राज-1/2025-26727:- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या--15) की धारा 16, में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत जिला कलक्टर, **चूरु** एवं राजस्व मण्डल अजमेर से प्राप्त प्रस्ताव/अनुशंषा के अनुरूप राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि जिला **चूरु की तहसील रतनगढ़ व राजगढ़** के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई, नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या-7 में अंकित मजरों/ढ़ाणियां को एतद्पश्चात् राजस्व ग्राम के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व ग्राम की कुल देह में से कम होकर कॉलम संख्या-8 के अनुसार है:-

क्र.सं.	जिला / तहसील	ग्राम पंचायत / पंचायत समिति	मूल राजस्व ग्राम का विवरण			नवीन राजस्व ग्राम का विवरण			दूरी KM	शेष मूल राजस्व ग्राम का शेष	
			ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या 2011	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या 2011		क्षेत्रफल (है.में)	जनसंख्या 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	**चूरु / रतनगढ़**	भाणुदा बीदावतान /	**भाणुदा बीदावतान** LG Code 70575	**4570.4119**	**4061**	**थामड़ा ढाणी** Thamra	**1539.5740**	**320**	**4.8**	**3465.6465**	**3741**

		/ रतनगढ़	**बाढ़ा की ढ़ाणी** LG Code 70574	**2023.8799**	**521**	ra Dhani			**5.8**	**1589.0713**	**521**
2	**चूरु / राजगढ़**	नेशल / राजगढ़	**नेशल** LG Code 70260	**1690.08**	**4160**	**नेशल बड़ी** Neshal Badi	**586.33**	**1706**	**2**	**1103.75**	**2454**

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 107 में निहित प्रवधानों के तहत उक्त मूल राजस्व ग्रामों एवं नवघोषित राजस्व ग्रामों के खसरा जमाबन्दी, नक्शे आदि अभिलेखों को पृथक कर उनके संधारण हेतु **जिला कलक्टर, चूरु** को अधिकृत किया जाता है। जिला कलक्टर उक्त ग्रामों के अभिलेखन कार्य निष्पादन की सूचना से राज्य सरकार को भी सूचित करेंगें।

आज्ञा से,

हरि सिंह मीना,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।